

an>

Title: Regarding alleged attack on the delegation by the staff of Electricity Office, Chitran in Karnataka

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, मैं विगत 13 और 14 तारीख से बोलना चाह रहा था, दो बार स्वीकृत भी हुआ था पर आज आपने मौका दिया है, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, देश के कुछ राज्यों में शराबबंदी का कानून है, जिनमें बिहार भी एक राज्य है। सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी का कानून लागू कर दिया है, किंतु बिहार सरकार के शराबबंदी के कानून की धजियां उड़ाते हुए उनके कर्मचारी दिन-दहाड़े शराब का सेवन कर रहे हैं। उनके पदाधिकारियों द्वारा विगत दस मार्च, 2017 को हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर के चरित्वन स्थित विद्युत कार्यालय में संख्या लगभग चार बजे वहां के कार्यालयक अभियंता द्वय (प्रोजेक्ट एवं वितरण) तथा उनके कर्मियों एवं कई मानवदल के **वै/ *** ने विद्युत परिसर में डी शराब की बोतलों को खोल कर मांस मटिया का सेवन कर रहे थे। उसी समय हमारे जिलाध्यक्ष श्री राणा प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल वहां गया था। उनके पहुंचते ही शराब पीने वाले कर्मचारियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला ही नहीं किया, उसमें चार लोग बुरी तरह घायल हो गए। वे अस्पताल में भर्ती हैं। आज चरित्वन जो राम की भूमि है, वहां शराब की बोतलें चल रही हैं। महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ और आपसे अपील करना चाहता हूँ कि उस घटना पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी कर्मचारियों की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए तथा उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। बिहार सरकार का शराबबंदी कानून पूरी तरह से **वै/ *** है। आज बिहार के कार्यालय मटियालय बन गए हैं। बिहार में अधिकारी मस्त और जनता त्रस्त हो रही है।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bharion Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Ashwini Kumar Choubey.